

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अगस्त 2017—श्रावण 14, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017 मौसम खरीफ के लिये संलग्न सूची अनुसार जिला के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2017 में प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (ऋणमान)

क्र.	जिला	मौसम/वर्ष	खरीफ फसलें	स्केल ऑफ फायनेंस (अल्पकालिक ऋणमान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्वालियर	2017-18	धान	25700
			बाजरा	16000
			ज्वार	16000
			मक्का	16000
			तिल्ली	12000
			सोयाबीन	20000
			उड़द	16000
			मूंग	16000
			अरहर	17000
			मूंगफली	15000